न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 70/2021

उनवान

1. मोहनलाल यादव पुत्र श्री गंगाराम यादव, जाति अहीर, निवासी केरली की ढाणी, ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. गोपाल पुत्र गंगाराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, व इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 16.11.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम घिनोई, पटवार हल्का घिनोई, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर के आराजी खाता संख्या 63 में खसरा नम्बर 1626 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1670/2 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1671/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1672/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1673/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1674 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1674/2433 रकबा 0.10 हैक्टेयर, कुल किता 8 का कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग एवं खाता संख्या 64 में खसरा नम्बर 1657 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1665 आबादी रकबा 0.03 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग निहित है उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 868, 867/2, 867/1, 861, 867/2, 842/2 है, उक्त भूमि की खातेदारी सम्वत् 2037 से पूर्व से वादी व उसके भाई प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से चली आ रही है। उक्त भूमि विवादग्रस्त है।

वादी का नाम उसके समस्त दस्तावेजों में मोहनलाल पुत्र गंगाराम दर्ज है तथा इसी प्रकार भारत सरकार के आधार प्रमाण पत्र में भी मोहनलाल पुत्र गंगाराम एवं राशन कार्ड में मोहनलाल पुत्र गंगाराम दर्ज है, तथा विक्रय पत्र दिनांक 24.09.1984 के द्वारा उक्त भूमि खरीद की गई है जिसमें बतौर क्रेता गोपाल मोहन पुत्र गंगाराम दर्ज तथा विक्रय पत्र के आधार पर गत राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2037 से 2040 की जमाबन्दी में गोपाल, मोहन पुत्र गंगाराम के नाम से भूमि खरीद कर नामान्तरण दर्ज है। जबकि उक्त वर्णित आराजी में विवादग्रस्त नाम मोहन पुत्र गंगाराम है।

वादी ने अपना नाम दुरूस्त करवाने बाबत् राजस्व कैम्पों में तथा राजकीय कर्मचारियों से कई बार निवेदन किया परन्तु नाम दुरूस्त नहीं किया गया जिसका की नाम दुरूस्त करवाये जाने का अधिकार वादी को प्राप्त है तथा विवादग्रस्त नाम गलत ढंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:46 IST
Reason: SelfAttested

16/11/21

तहसील–चौमूं

Scanned with CamScanner

से मोहन के स्थान पर मोहरू दर्ज कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाकर मोहनलाल पुत्र गंगाराम किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी सालिम डिक्री किया जाकर वादी को निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किया जाये:–

(क) उक्त वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात् में वादी का विवादित नाम हजफ किये जाने की घोषणा कर मोहनलाल पुत्र गंगाराम दर्ज कर इन्द्राज दुरूरत किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट धिनोई में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है। पत्रावली कें संबध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 16.11.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम धिनोई के खाता संख्या 63, 64 में दर्ज ख0न0 1657, 1665, 1626, 1668, 1670/2, 1671/2, 1672/2, 1673/2, 1674, 2674/2433 कुल किता 10 रकबा 2.57 है0 की खातेदारी गोपाल, मोहन पिता गंगाराम जाति अहीर के दर्ज रिकार्ड है। उक्त ख0न0 के साबिक ख0न0 867/1, 867/2, 868 व 842/2 है। संलग्न विक्रय पत्र की छायाप्रति के अनुसार क्रेता का नाम गोपाल व मोहन पिता गंगाराम जाति अहीर निवासी धिनोई दर्ज है। हाल मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 46 के अनुसार पर्चा–खतौनी में गोपाल–मोहन पिता गंगाराम हिस्सा 1/2 दर्ज हो गया, जो गलत है। अतः संलग्न विक्रय पत्र की छाया प्रति एवं जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 के खाता संख्या 213 में लगे नोट के अनुसार ग्राम धिनोई के हाल खाता संख्या 63, 64 में दर्ज मोहरू के बजाय मोहन शुद्ध करने की अभिशंषा की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान को सुना गया। जिससे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र बाबत घोषणा, दुरूस्थी का कानूनन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत घोषणा, दुरूस्थी का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम धिनोई, पटवार हल्का धिनोई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर वादी का विवादित नाम हजफ किये जाने की घोषणा की जाती है। तथा मोहनलाल पुत्र गंगाराम दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री जारी हों। डिकी [illegible] तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:46 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल जैन)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner